उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 52/2018/755/92-2-18-91जांच/2014

लखनऊ:: दिनांक:: 28 मार्च, 2018

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

जनपद गोण्डा के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्यो की एन0क्यू0एम0 एवं एस0टी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा किये गये निरीक्षण में स्थलीय जांच में निर्माण कार्यो की ग्रेडिंग असंतोषजनक पाये जाने के फलस्वरूप शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-01/5511/92-14-91जांच/2014 दिनांक 02-01-2015 द्वारा प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये गये श्री अवधेशमणि त्रिपाठी, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0 यू0-2 गोण्डा, श्री कृपाल सिंह वर्मा, तत्का0 सहायक अभियंता, (से0नि0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0 आई0यू0-2, गोण्डा, श्री बाबूलाल रावत, तत्का0 सहायक अभियंता,(से0नि0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-2, गोण्डा के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता(प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- श्री अनिल कुमार गर्ग, तत्का0 मुख्य अभियंता (प0क्षे0)/जांच अधिकारी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-गोरखपुर द्वारा प्रचलित जांच की कार्यवाही पूर्ण करते हुये क्रमश: पत्रसं0-749/ग्रा0अ0वि0/से0/अनु0जांच-गोण्डा/आ0लि0/2014-15 दि0 26-11-2015 एवं पत्रसं0-746/ग्रा0अ0वि0/से0/अनु0जांच-गोण्डा/आ0 लि0/14-15 दिनांक 26;11.2015 एवं पत्र सं0-748/ग्रा0अ0वि0/से0/अनु0जांच-गोण्डा/आ0लि0/ 14-15 दि0 26.11.2015 द्वारा अपचारी अधिकारी सर्वश्री अवधेशमणि त्रिपाठी, तत्का0 अधिशासी अभियंता, श्री कृपाल सिंह वर्मा, तत्का0 सहायक अभियंता (से0नि0) एवं श्री बाबूलाल रावत, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-2 के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक जांच में अपनी जांच आख्या, शासन को प्रेषित की गयी, जिसमें तीनों अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप स्थापित होना नही पाया गया।

3- श्री अनिल कुमार गर्ग, तत्का0 मुख्य अभियंता (प0क्षे0)/जांच अधिकारी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रेषित जांच आख्या का शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि प्रारम्भिक जांच में एन0क्यू0एम0/एस0टी0ए0 द्वारा स्थलीय जांच के निरीक्षण में ग्रेडिंग असंतोषजनक दर्शाये जाने के उपरांत जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित की गयी जांच आख्या में कोई भी आरोप सिद्व न पाया जाना संदेहास्पद है। श्री अनिल कुमार गर्ग, तत्का0 मुख्य अभियंता (प0क्षे0)/जांच अधिकारी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल-गोरखपुर द्वारा त्रुटिपूर्ण एवं संदेहास्पद जांच आख्या के फलस्वरूप सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1082/92-2-16-91जांच/16 दि0 06.06.2016 द्वारा उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के सापेक्ष तीनो अपचारी अधिकारियों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये श्री शैलेष अग्रवाल, तत्का0 मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया। श्री अग्रवाल की जांच आख्या दि0 14.10.2016 में अपचारी अधिकारी, श्री अवधेशमणि त्रिपाठी, तत्का0 अधिशासी अभियंता के विरूद्व आरोप सं0-1, 2 व 3 आंशिक रूप से एवं आरोप सं0-4 तथा आरोप सं0-5 स्थापित नही पाया गया, श्री कृपाल सिंह वर्मा, तत्का0 सहायक अभियंता पर आरोप सं0-1 आंशिक रूप से स्थापित पाया गया व आरोप सं0-2 स्थापित नही पाया गया तथा श्री बाबू लाल रावत, तत्का0 सहायक अभियंता के विरूद्व आरोप सं0-1, 2 व 3 आंशिक रूप से स्थापित पाये गये।

4- उपरोक्त से स्पष्ट है कि श्री अनिल कुमार गर्ग द्वारा निर्माण कार्यो की प्रारम्भिक जांच में एस0क्यू0एम0/एस0टी0ए0 द्वारा स्थलीय जांच के समय ग्रेडिग असंतोषजनक दिये जाने के उपरांत भी उनके द्वारा जांच अधिकारी के रूप में दी गयी जांच आख्या में कोई आरोप सिद्व न पाया जाना संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण होने के दृष्टिगत शासन के पत्र सं0-1081/92-2-16-91जांच/2014 दिनांक 06.06.2014 एवं अनुस्मरण पत्र दिनांक 02.11.2016 द्वारा श्री गर्ग का स्पष्टीकरण मांगा गया किन्तु श्री गर्ग द्वारा अपना स्पष्टीकरण का उत्तर न देते हुये प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बित रखने के उददेश्य से बार-बार कतिपय अनावश्यक अन्य अभिलेखों/सूचनाओं की मांग की जाती रही।

5- अत: श्री अनिल कुमार गर्ग द्वारा जांच अधिकारी के रूप में अपनी जांच आख्या में अपचारी अधिकारियों पर लगाये गये आरोपों का विधिवत परीक्षण नही किया गया तथा सतही, संदेहास्पद, त्रुटिपूर्ण जांच आख्या शासन को प्रेषित की गयी, जिसके लिये श्री अनिल कुमार गर्ग, जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, परि0-गोरखपुर को उक्त अनियमितता हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-76/2016 /1908/92-2-16-91जांच/2014 दिनांक 08.12.2016 द्वारा श्री गर्ग की वर्ष 2015-16 की सत्यनिष्ठा रोकते हुये परिनिन्दा का दण्ड दिया गया।

6- उक्त आदेश के विरूद्व श्री अनिल कुमार गर्ग द्वारा अपना प्रत्यावेदन दिनांक 17.10.2017 प्रस्तुत करते हुये उन्हें शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.12.2016 द्वारा सत्यनिष्ठा संदिग्ध करते हुये वर्ष 2016-17 के लिये दिये गये परिनिन्दा दण्ड को समाप्त करने का अनुरोध किया गया। उक्त प्रत्यावेदन में उल्लिखित तथ्यों को सम्यक विचारोपरान्त औचित्यपूर्ण पाये जाने के दृष्टिगत श्री अनिल कुमार गर्ग, तत्का0 जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल-गोरखपुर के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.12.2016 द्वारा निर्गत दण्डादेश को एतद्द्वारा समाप्त/निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-52/2018/755/(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- श्री अनिल कुमार गर्ग, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1 ।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।